



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2017/ज्येष्ठ 25, 1939

No. 489]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2017/JYAISTHA 25, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2017

सा.का.नि. 591(अ).—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उपधारा (1) और उपधारा (2) की अपेक्षानुसार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398(अ) तारीख 21.04.2017 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 22.04.2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) वे उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्रमाणपत्र” अधिनियम की धारा 57 के अधीन जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(ग) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है ;

(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है।

अध्याय 2

अधिकार और हकदारियां

3. स्थापन का दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करना—(1) स्थापन का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों का, अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के किसी अधिकार और उनको प्राप्त होनो वाले किसी फायदे से इंकार करने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाता है।

(2) यदि सरकारी स्थापन का प्रमुख या कोई प्राइवेट स्थापन, जो बीस से अधिक व्यक्तियों को नियोजित कर रहा है, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त करता है तो वह,—

(क) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ करेगा ; या

(ख) व्यथित व्यक्तियों को लिखित में सूचित करेगा कि किस प्रकार आक्षेपित कार्रवाई या लोप किसी विधिमान्य ध्येय को पूरा करने के लिए समानुपातिक साधन है।

(3) यदि व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को शिकायत प्रस्तुत करता है तो शिकायत का निपटान साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परंतु आपातकालीन मामलों में मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त शिकायत का यथाशीघ्र निपटान करेगा।

(4) कोई स्थापन किसी दिव्यांगजन को युक्तियुक्त आवासन उपलब्ध कराने पर उपगत किसी लागत को भागतः या पूर्णतः संदत्त करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

4. दिव्यांगता अनुसंधान के लिए केंद्रीय समिति—(1) दिव्यांगता अनुसंधान के लिए केंद्रीय समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विज्ञान या औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में बृहत्त अनुभव रखने वाला एक विख्यात व्यक्ति, -- पदेन अध्यक्ष ;

(ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं का उप महानिदेशक की पंक्ति से अन्यून नामनिर्देशिती – सदस्य ;

(iii) भौतिक, दृश्य, श्रव्य और बौद्धिक दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों से चार व्यक्ति, जिनको केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

(iv) रजिस्ट्रीकृत संगठनों से प्रतिनिधि के रूप में पाँच व्यक्ति, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पाँच समूहों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनको केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

परंतु रजिस्ट्रीकृत संगठनों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी ;

(v) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो कि सदस्य-सचिव होगा।

(2) अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करते हैं, तीन वर्ष होगी और नामनिर्दिष्ट सदस्य एक और पदावधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(4) आधे सदस्य बैठकों की गणपूर्ति करेंगे।

(5) गैर-शासकीय सदस्य और विशेष आमंत्रित केंद्रीय सरकार के समूह “क” अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

(6) केंद्रीय सरकार समिति को उतने लिपिकीय और अन्य कर्मचारिवृद्ध उपलब्ध कराएगी, जैसा केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे।

5. दिव्यांगजन को अनुसंधान का एक विषय नहीं समझा जाना—कोई दिव्यांगजन किसी अनुसंधान का विषय नहीं होगा सिवाय तब जब अनुसंधान में उसके शरीर पर भौतिक प्रभाव अंतर्वलित हो।

6. कार्यापालक मजिस्ट्रेटों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया—अधिनियम की धारा 7 के अधीन परिवादों पर कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए कार्यापालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 133 से धारा 143 में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

अध्याय 3

जिला शिक्षा कार्यालय में नोडल अधिकारी

7. जिला शिक्षा कार्यालय में नोडल अधिकारी—दिव्यांग बालकों के दाखिले से संबंधित सभी मामलों से और अधिनियम की धारा 16 और 31 के निबंधनों में विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं से निपटने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में एक नोडल अधिकारी होगा।

अध्याय 4

नियोजन

8. समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति—(1) प्रत्येक स्थापन दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति का प्रकाशन करेगा।

(2) समान अवसर नीति का स्थापनों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर उनके परिसरों में सहज दृश्य स्थान पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा।

(3) बीस कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले प्राइवेट स्थापनों के लिए और सरकारी स्थापनों के लिए समान अवसर नीति में अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और प्रसुविधाएं ताकि वह स्थापनों में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सकें ;

(ख) स्थापन में दिव्यांगजनों के लिए पहचाने गए समुचित पदों की सूची ;

(ग) विभिन्न पदों पर दिव्यांगजनों के चयन की रीति, भर्ती-पश्च और प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण स्थानांतरण और तैनाती में अधिमानतः, विशेष छुट्टी; आवासों के आबंटन में अधिमानतः, यदि कोई हो, तथा अन्य सुविधाएं ;

(घ) सहायक युक्तियों, बाधा मुक्त पहुंच तथा दिव्यांगजनों के लिए अन्य उपबंध ;

(ङ) दिव्यांगजनों की भर्ती की देखरेख के लिए स्थापन में लायजन अधिकारी की नियुक्ति तथा ऐसे कर्मचारियों के लिए सुविधाओं और प्रसुविधाओं का उपबंध।

(4) बीस से कम कर्मचारियों वाले प्राइवेट स्थापनों में समान अवसर नीति में, अन्य बातों के साथ, दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और प्रसुविधाएं अंतर्विष्ट होंगी ताकि वह स्थापन में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

9. स्थापनों में अभिलेखों को रखे जाने का प्ररूप और रीति—(1) नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन आने वाला प्रत्येक स्थापन निम्नलिखित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाले अभिलेख रखेगा, अर्थात् :--

- (क) दिव्यांगजनों की संख्या, जो नियोजित हैं तथा वह तारीख जिससे वे नियोजित हैं ;
- (ख) ऐसे नियोजित व्यक्तियों का नाम, लिंग और पता ;
- (ग) ऐसे नियोजित व्यक्तियों की दिव्यांगता की किस्म ;
- (घ) ऐसे नियोजित दिव्यांगजनों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति ; और
- (ङ) ऐसे दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जाने वाली दिव्यांगता की किस्म ।

(2) प्रत्येक स्थापन मांग किए जाने पर इन नियमों के अधीन रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी सूचना प्रदान करेगा, जो यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो कि क्या उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है ।

10. सरकारी स्थापनों द्वारा शिकायत रजिस्ट्रों को रखे जाने की रीति—(1) प्रत्येक सरकारी स्थापन राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून अधिकारी को शिकायत निपटान अधिकारी नियुक्त करेगा :

परंतु जहां किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करना संभव न हो वहां सरकारी स्थापन ज्येष्ठतम अधिकारी को शिकायत निपटान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) शिकायत निपटान अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां रखेगा, अर्थात् :--

- (क) शिकायत की तारीख ;
- (ख) शिकायतकर्ता का नाम ;
- (ग) उस व्यक्ति का नाम, जो शिकायत की जांच कर रहा है ;
- (घ) घटना का स्थान ;
- (ङ) स्थापन या व्यक्ति का नाम, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है ;
- (च) शिकायत का सार ;
- (छ) दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो ;
- (ज) शिकायत निपटान अधिकारी द्वारा निपटान की तारीख ;
- (झ) जिला स्तरीय समिति द्वारा अपील के निपटान के ब्यौरे ; और
- (ञ) कोई अन्य सूचना ।

अध्याय 5

बैचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियां

11. रिक्तियों की संगणना—(1) रिक्तियों की संगणना के प्रयोजन के लिए पदों के प्रत्येक समूह में कैडर संख्या में कुल रिक्तियों के चार प्रतिशत को समुचित सरकार द्वारा बैचमार्क दिव्यांगताओं के लिए गणना में लिया जाएगा ।

परंतु प्रोन्नति में आरक्षण, समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार होगा ।

(2) प्रत्येक सरकारी स्थापन दिव्यांगजनों के लिए कैडर संख्या में रिक्तियों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार एक रिक्ति आधारित रोस्टर रखेगा ।

(3) रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करते समय प्रत्येक सरकारी स्थापन प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के साथ अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगताओं को उपदर्शित करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 34 के उपबंधों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण शैतिजिक होगा और बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को पृथक वर्ग के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा।

12. रिक्तियों का अंतर-परिवर्तन—सरकारी स्थापन अधिनियम की धारा 34 के निबंधनों में रिक्तियों का अंतर-परिवर्तन केवल तब करेगा जब भर्ती की सम्यक् प्रक्रिया जैसे बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने का अनुसरण किया गया है और भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् कोई समुचित अभ्यर्थी नहीं पाया गया है।

13. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना—(1) प्रत्येक सरकारी स्थापन स्थानीय विशेष रोजगार एक्सचेंज को प्ररूप दिव्यांगजन नियोक्ता विवरणी प्ररूप-1 में प्रत्येक छह मास में 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए एक बार तथा प्ररूप-2 में प्रत्येक दो वर्ष में एक बार विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

(2) छमाही विवरणी को संबंधित तारीखों से तीस दिन के भीतर अर्थात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च और 30 सितंबर को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) द्विवार्षिक विवरणी को प्रत्येक एकांतर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

14. प्ररूप, जिसमें नियोक्ता द्वारा अभिलेख रखे जाने हैं—सरकारी स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता प्ररूप-3 में दिव्यांग कर्मचारियों के अभिलेख रखेगा।

अध्याय 6

पहुंच

15 निर्धारण के नियम—(1) प्रत्येक स्थापन निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करेगा—भौतिक पर्यावरण, परिवहन और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, अर्थात् :--

(क) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में अधिसूचित लोक भवन मानक जैसा कि "हारमोनाइज्ड गाइडलाइन्स एंड स्पेश स्टैंडर्ड्स फार परसन्स विद डिस्सेबिल्टीज एंड एल्डरली पर्सन्ज" में विनिर्दिष्ट है ;

(ख) (i) भारत सरकार, सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि 895(अ) तारीख 20 सितम्बर, 2016 में यथाविनिर्दिष्ट पब्लिक बस परिवहन बाडी कोड ;

(ग) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

(i) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, द्वारा यथा अंगिकृत भारत सरकार वेबसाइट—मार्गदर्शक सिद्धांत ;

(ii) वेबसाइट पर रखेजाने वाले दस्तावेज ePUB या OCR आधारित PDF फॉर्मेट में होंगे :

परंतु अन्य सेवाओं और प्रसुविधाओं के संबंध में पहुंच मानकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) संबंधित मंत्रालय और विभाग इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पहुंच मानकों को संबंधित डोमेन विनियमों या अन्यथा के माध्यम से लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

16. पहुंच मानकों का पुनर्विलोकन—केंद्रीय सरकार समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा अधिसूचित पहुंच मानकों का नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी और प्रौद्योगिकी के आधार पर पुनर्विलोकन करेगी।

अध्याय 7

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

17. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन—(1) विनिर्दिष्ट दिव्यांगताग्रस्त कोई व्यक्ति प्ररूप 4 में दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेगा और निम्नलिखित को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा—

- (क) उस जिले, जिसमें आवेदक निवास करता है, जैसा कि आवेदन में आवास के सबूत के रूप में वर्णन किया गया है, का कोई चिकित्सा प्राधिकारी या कोई अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी ; या
- (ख) किसी सरकारी अस्पताल में संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी, जिसमें उसने अपनी दिव्यांगता के संबंध में वह उपचार करा रहा है या उसने उपचार कराया है :

परंतु जहां दिव्यांगजन कोई अल्पवय है या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है या किसी ऐसी दिव्यांगता से ग्रस्त है जो उसे स्वयं ऐसा आवेदन करने में अनफिट या असमर्थ बनाती है तो उसके निमित्त आवेदन उसके विधिक अभिभावक या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे संगठन द्वारा किया जा सकेगा, जिसकी देखभाल के अधीन अल्पवय है ।।

(2) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

- (क) निवास का सबूत ;
- (ख) दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो ; और
- (ग) आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर, यदि कोई हो ।

टिप्पण : आवेदक से निवास का कोई अन्य सबूत अपेक्षित नहीं होगा, जिसके पास आधार या आधार नामांकन संख्या है ।

18. दिव्यांगता प्रमाणपत्र का जारी किया जाना—(1) नियम 17 के अधीन आनलाइन आवेदन की प्राप्ति पर चिकित्सा प्राधिकारी आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन करेगा और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों में दिव्यांगता का पता लगाएगा तथा स्वयं का यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक दिव्यांगजन है, यथास्थिति, प्ररूप 5, प्ररूप 6 और प्ररूप 7 में उसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(2) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(3) सम्यक् जांच के पश्चात् चिकित्सा प्राधिकारी—

- (i) उन मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा, जहां दिव्यांगता की डिग्री में समय के साथ परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है ; या
- (ii) उन मामलों में, जहां समय के साथ दिव्यांगता के स्तर में परिवर्तन की संभावना है, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र देगा और प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि को उपदर्शित करेगा ।

(4) यदि किसी आवेदक को दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो चिकित्सा प्राधिकारी लिखित में कारणों से उसे प्ररूप 8 में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर सूचित करेगा ।

(5) राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी आनलाइन प्लेटफार्म पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र उस तारीख से मंजूर किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

19. नियम 18 के अधीन जारी प्रमाण पत्र का साधारणतया सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होना – नियम 18 के अधीन जारी कोई प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति को सरकार और सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की स्कीमों के अधीन अनुज्ञेय प्रसुविधाओं, रियायतों फायदों हेतु आवेदन करने में समर्थ करेगा ।

20. निरसित अधिनियम के अधीन जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र की विधिमान्यता- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक विधिमान्य बना रहेगा।

अध्याय 8

दिव्यांगता केंद्रीय सलाहकार बोर्ड

21. सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के भत्ते—(1) दिल्ली में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के गैर-शासकीय सदस्यों को बैठक के वास्तविक दिन के लिए दो हजार रुपए प्रतिदिन के भत्ते का संदाय किया जाएगा।

(2) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के गैर-शासकीय सदस्यों को, जो दिल्ली में निवास नहीं कर रहे हैं, को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता का उस दर से संदाय किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार के समूह “क” अधिकारी को अनुज्ञेय है :

परंतु संसद् सदस्य की दशा में, जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य है, को उसे संसद् सदस्य के रूप में अनुज्ञेय दर पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का तब संदाय किया जाएगा जब संसद् सत्र में नहीं हो और सदस्य द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसने किसी अन्य सरकारी स्रोत से उसी यात्रा और ठहराव के लिए कोई ऐसा भत्ता आहरित नहीं किया है।

(3) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के शासकीय सदस्यों को दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते का संदाय संबंधित सरकार, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, के सुसंगत नियमों के अधीन इस निमित्त एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर कि उसने किसी अन्य सरकारी स्रोत से उसी यात्रा और ठहराव के लिए कोई ऐसा भत्ता आहरित नहीं किया है, किया जाएगा।

22. बैठक की सूचना—(1) दिव्यांगता केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक साधारणतया दिल्ली में और ऐसी तारीख को, जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए, आयोजित की जाएगी :

परंतु यह कि प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक होगी।

(2) अध्यक्ष, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के कम से कम दस सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित करेगा।

(3) सदस्य-सचिव साधारण बैठक की 15 स्पष्ट दिनों की और विशेष बैठक की 6 स्पष्ट दिनों की उसमें ऐसी बैठक के समय और स्थान की सूचना देते हुए और उनमें किए जाने वाले संव्यवहार की सूचना देगा।

(4) सदस्य-सचिव ऐसी सूचना सदस्यों को संवाहक द्वारा या उनके पते पर रजिस्टर डाक द्वारा या ऐसी अन्य रीति से, जो अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, सूचना देगा।

(5) कोई भी सदस्य बैठक में विचारण के लिए किसी विषय को, जिसकी सदस्य-सचिव द्वारा दस स्पष्ट दिन की सूचना नहीं दी गई है, को लाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि अध्यक्ष ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञात न करे।

(6) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड दिन-प्रतिदिन या किसी विशिष्ट दिन के लिए अपनी बैठक को स्थगित कर सकेगा।

(7) जब केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक को किसी दिन के लिए स्थगित किया जाता है तो सदस्य-सचिव ऐसी स्थगित बैठक के समय, जहां बैठक स्थगित की गई थी, यदि आयोजित की गई हो कि संवाहक द्वारा सूचना देगा और स्थगित बैठक की अन्य सदस्यों को सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

(8) जब केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की किसी दिन के लिए बैठक स्थगित नहीं की जाती है किंतु उस दिन के लिए, जिसको बैठक आयोजित की जानी है, से किसी अन्य दिन के लिए स्थगित की जाती है तो ऐसी बैठक की सूचना सभी सदस्यों को उपनियम (4) में यथाउपबंधित रीति में दी जाएगी।

23. पीठासीन अधिकारी—अध्यक्ष केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी उपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा किंतु जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों किसी बैठक में अनुपस्थित हों तो उपस्थित सदस्य किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुने।

24. गणपूर्ति—(1) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के कुल सदस्यों का एक-तिहाई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति होंगे।

(2) किसी बैठक के लिए नियत समय या किसी बैठक के प्रक्रम के दौरान कुल सदस्यों का एक-तिहाई सदस्यों से कम उपस्थित हैं तो अध्यक्ष बैठक को ऐसे समय के लिए आगामी या किसी भावी तारीख के लिए जैसा कि वह नियत करे, स्थगित कर सकेगा।

(3) स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(4) कोई विषय, जो यथास्थिति, किसी साधारण या विशेष बैठक का एजेंडा नहीं है, पर स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी।

25. कार्यवृत्त—(1) सदस्य-सचिव उन सदस्यों के नामों को अंतर्विष्ट करने वाला अभिलेख रखेगा, जिन्होंने बैठक में भाग लिया था तथा बैठक की कार्यवाहियों की पुस्तिका उस प्रयोजन के लिए रखी जाएगी।

(2) पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को प्रत्येक पश्चातवर्ती बैठक के प्रारंभ में पढ़ा जाएगा और ऐसी बैठक के अध्यक्ष अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) कार्यवाहियां किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान सदस्य-सचिव के कार्यालय में उपलब्ध होंगी।

26. बैठकों में संव्यवहार किया जाने वाला कारबार—सिवाय अध्यक्ष की अनुज्ञा के किसी कारबार को किसी एजेंडा में दर्ज नहीं किया जाएगा या जिसकी सूचना नियम 22 के उपनियम (5) के अधीन सदस्य द्वारा नहीं दी गई है, का किसी बैठक में संव्यवहार नहीं होगा।

27. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए एजेंडा—(1) किसी बैठक में कारबार का संव्यवहार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें वह एजेंडा में दर्ज है, सिवाय जब अन्यथा किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुज्ञा के संकल्प न किया गया हो।

(2) या तो बैठक के प्रारंभ में या बैठक में किसी प्रस्ताव पर चर्चा के समापन पर अध्यक्ष या सदस्य एजेंडा में यथा दर्ज कारबार के क्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकेगा और यदि अध्यक्ष सहमत होता है तो ऐसा परिवर्तन किया जाएगा।

28. बहुमत द्वारा विनिश्चय—समिति की बैठक में विचार किए गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के मत से किया जाएगा और मतों के समान होने की दशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

29. किसी कार्यवाही का रिक्ति या किसी अन्य त्रुटि से अविधिमान्य न होना—केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की कोई कार्यवाही बोर्ड के गठन में किसी रिक्ति या किसी अन्य त्रुटि के विद्यमान होने के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

अध्याय 9

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और आयुक्त

30. मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता—(1) मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा जब तक,—

(क) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न हो :

परंतु उन व्यक्तियों को अधिमानतः दी जाएगी जिनके पास सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंध या मानव अधिकार या पुनर्वास या दिव्यांगजनों की शिक्षा में मान्यताप्राप्त डिग्री या डिप्लोमा है ;

(ख) जिनके पास केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों में दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र में समूह “क” स्तर के पद का या किसी रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन में ज्येष्ठ स्तर के कृत्यकारी के रूप में दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव है :

परंतु 25 वर्ष के कुल अनुभव में से उसके पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव दिव्यांगजनों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में होना चाहिए ; और

(ग) वह भर्ती के वर्ष की 1 जनवरी को 60 वर्ष का होना चाहिए ;

टिप्पण : यदि वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है तो वह पद पर नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति लेगा ।

31. आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता—(1) आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा जब तक,—

(क) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न हो :

परंतु उन व्यक्तियों को अधिमानतः दी जाएगी जिनके पास सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंध या मानव अधिकार या पुनर्वास या दिव्यांगजनों की शिक्षा में मान्यताप्राप्त डिग्री या डिप्लोमा है ;

(ख) जिनके पास केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों में दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र में समूह “क” स्तर के पद का या किसी रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन में ज्येष्ठ स्तर के कृत्यकारी के रूप में दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव है : और

(ग) वह भर्ती के वर्ष की 1 जनवरी को 56 वर्ष का होना चाहिए ;

32. मुख्य आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति की विधि—(1) केंद्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के पद की रिक्ति होने से छह मास पूर्व कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक समाचार-पत्रों में पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों, जो नियम 30 और 31 में विहित अर्हताओं को पूरा करते हैं, से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन देगी ।

(2) छानबीन-सह-चयन समिति का गठन मुख्य आयुक्त और आयुक्त के पद पर तीन उपयुक्त अभ्यर्थियों के पैनल की सिफारिश के लिए किया जाएगा ।

(3) छानबीन-सह-चयन समिति का गठन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में उन व्यक्तियों में से जिन्होंने उपनियम (1) में वर्णित विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन किया हो तथा अन्य पात्र व्यक्ति, जिन्हें समिति समुचित समझे, व्यक्ति हो सकते हैं ।

(5) केंद्रीय सरकार छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए किसी एक अभ्यर्थी को मुख्य आयुक्त या आयुक्त नियुक्त करेगी ।

33. मुख्य आयुक्त और आयुक्त की पदावधि—(1) मुख्य आयुक्त की पदावधि, उस तारीख से जिसको वह पद धारण करता है से तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी ।

(2) आयुक्त की पदावधि तीन वर्ष होगी और उसका दो वर्ष की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा या जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) कोई व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में अधिकतम दो कार्यकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसने क्रमशः पैंसठ वर्ष या साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, सेवा कर सकेगा ।

34. मुख्य आयुक्त और आयुक्त के वेतन और भत्ते—(1) मुख्य आयुक्त ऐसे वेतन और भत्तों के लिए हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं ।

(2) आयुक्त ऐसे वेतन और भत्तों के लिए हकदार होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव को अनुज्ञेय हैं ।

(3) जहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और जो ऐसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है वहां उसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय वेतन में से पेंशन की रकम को घटा दिया जाएगा, और यदि उसने पेंशन के किसी भाग के बदले उसका सारांशित मूल्य प्राप्त किया है, वहां पेंशन के ऐसे सारांशित भाग की रकम को भी वेतन में से घटा दिया जाएगा ।

35. मुख्य आयुक्त और आयुक्त की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें.- (1) मुख्य आयुक्त और आयुक्त ऐसी छुट्टी के लिए हकदार होंगे, जो किसी सरकारी सेवक को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय हैं।

(2) मुख्य आयुक्त और आयुक्त ऐसी छुट्टी यात्रा रियायत के लिए हकदार होंगे, जो किसी समूह “क” अधिकारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 के अधीन अनुज्ञेय हैं।

(3) मुख्य आयुक्त और आयुक्त ऐसे चिकित्सीय फायदों के लिए हकदार होंगे, जो किसी समूह “क” अधिकारी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

36. त्यागपत्र और हटाया जाना.- (1) मुख्य आयुक्त और आयुक्त, अपने हस्ताक्षर के अधीन केन्द्रीय सरकार को संबोधित एक लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को मुख्य आयुक्त और आयुक्त उसके पद से हटा सकेगी, यदि वह—

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) अपने कार्यकाल के दौरान किसी संदाययुक्त नियोजन में लगता है या उसके कार्यालय के कर्तव्यों से परे कोई क्रियाकलाप करता है;

(ग) किसी ऐसे अपराध को लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है या कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(घ) केन्द्रीय सरकार की राय में, मस्तिष्क या शरीर के अंग-शैथिल्य के कारण या अधिनियम में यथाअधिकथित उसके कृत्यों के निष्पादन में गंभीर व्यतिक्रम के कारण पद पर बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ङ) केन्द्रीय सरकार से अनुपस्थिति की अनुमति अभिप्राप्त किए बिना पन्द्रह दिन या अधिक की अनुक्रमिक अवधि के लिए कार्य से अनुपस्थित रहता है; या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में, मुख्य आयुक्त और आयुक्त के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करता है कि उसका पद पर बने रहना दिव्यांग व्यक्तियों के हित के लिए हानिकारक है:

परंतु किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार के समूह “क” के कर्मचारियों को हटाए जाने के लिए लागू प्रक्रिया का यथावश्यक परिवर्तनों सहित अनुसरण किए बगैर नहीं हटाया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे मुख्य आयुक्त या आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपनियम (2) के अनुसार उसे हटाए जाने के लिए प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई हैं और ऐसी प्रक्रियाएं निष्कर्ष हेतु लंबित हैं, निलंबित कर सकेगी।

37. अवशिष्ट उपबंध.- किसी मुख्य आयुक्त और आयुक्त की किन्हीं ऐसी सेवा शर्तों की बाबत, जिसके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, अवधारण, यथास्थिति, भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव को सत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा किया जाएगा।

38. मुख्य आयुक्त और आयुक्त द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.- (1) व्यथित व्यक्ति निम्नलिखित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाला कोई परिवाद वैयक्तिक रूप से या अपने किसी अभिकर्ता के माध्यम से मुख्य आयुक्त या आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा या उसे मुख्य आयुक्त या आयुक्त को संबोधित करते हुए रजिस्ट्रीकृत डाक या ई-मेल द्वारा भेजेगा, अर्थात्:—

(क) व्यथित व्यक्ति का नाम, वर्णन और पता;

(ख) यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या पक्षकारों का नाम, वर्णन और पता, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया जा सकेगा;

(ग) परिवाद से संबंधित तथ्य और वह कब और कहां उदभूत हुआ;

(घ) परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज;

(ङ) वह अनुतोष, जिसके लिए व्यथित व्यक्ति दावा करता है।

(2) मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद में उल्लिखित विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को यह निदेश देते हुए परिवाद की एक प्रति निर्दिष्ट करेगा कि वे तीस दिन अथवा मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा मंजूर की जाने वाली पन्द्रह से अनधिक की विस्तारित अवधि के भीतर मामले का अपना पहलू प्रस्तुत करे।

(3) सुनवाई की तारीख या ऐसी अन्य तारीख को, जिसको सुनवाई आस्थगित की जा सकती है, पक्षकार या उनके अभिकर्ता मुख्य आयुक्त या आयुक्त के समक्ष उपसंजात होंगे।

(4) जहां परिवादी या उसका अभिकर्ता ऐसी तारीखों को मुख्य आयुक्त या आयुक्त के समक्ष उपसंजात होने में असफल रहता है, वहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त व्यतिक्रम पर परिवाद को खारिज कर सकेगा या गुणागुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकेगा।

(5) जहां विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता सुनवाई की तारीख को मुख्य आयुक्त या आयुक्त के समक्ष उपसंजात होने में असफल रहता है, वहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन ऐसी आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा, जिसे वह विरोधी पक्षकार को समन करने और उसे हाजिर करना के लिए आवश्यक समझता है।

(6) मुख्य आयुक्त या आयुक्त, यदि आवश्यक हो तो परिवाद को एकपक्षीय रूप से निपटा सकेगा।

(7) मुख्य आयुक्त या आयुक्त ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें वह उचित समझे और कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई को आस्थगित कर सकेगा।

(8) मुख्य आयुक्त या आयुक्त यथाशक्य रूप से, विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर परिवाद का विनिश्चय करेगा।

39. मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए सलाहकार समिति.- (1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक सलाहकार समिति नियुक्त करेगी, अर्थात्:-

(क) अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पांच समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच विशेषज्ञ, जिनमें से दो महिलाएं होंगी ;

(ख) अवरोध मुक्त वातावरण के क्षेत्र में निम्नानुसार नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ :-

(i) भौतिक वातावरण में एक विशेषज्ञ ;

(ii) परिवहन प्रणालियों से एक विशेषज्ञ ; और

(iii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अन्य सेवाएं या जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसुविधाओं के क्षेत्र में से एक विशेषज्ञ ;

(ग) दिव्यांगजनों के नियोजन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ;

(घ) एक विधिक विशेषज्ञ; और

(ङ) दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार एक विशेषज्ञ।

(2) मुख्य आयुक्त आवश्यकता के अनुसार विषय-वस्तु या डोमेन विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगा, जो उसकी बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगा।

(3) सलाहकार समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और सदस्य पुनः नामनिर्देशन के पात्र नहीं होंगे।

(4) दिल्ली में सलाहकार समिति के गैर-शासकीय सदस्यों को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपए प्रतिदिन के भत्ते का संदाय किया जाएगा।

(5) सलाहकार समिति के गैर-शासकीय सदस्य, जो दिल्ली में निवास नहीं करते हैं, को वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते का उस दर पर संदाय किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय है।

40. वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.- (1) मुख्य आयुक्त, वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, किंतु आगामी वर्ष के तीस सितंबर से पूर्व एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया जाएगा।

(2) विशिष्ट रूप से, उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक के संबंध में जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:-

- (क) उसके अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के नाम और संगठनात्मक गठन और दर्शित करने वाला एक चार्ट;
- (ख) ऐसे कृत्य, जिनके लिए मुख्य आयुक्त को अधिनियम की धारा 75 और धारा 76 के अधीन सशक्त किया गया है और इस संबंध में उसके कार्यपालन की मुख्य विशिष्टियां;
- (ग) मुख्य आयुक्त द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें;
- (घ) अधिनियम के कार्यान्वयन की दिशा में की गई प्रगति;
- (ङ) अन्य कोई विषय, जिसे मुख्य आयुक्त द्वारा सम्मिलित किया जाना समुचित समझा जाए या जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय 10

दिव्यांगजन राष्ट्रीय निधि

41. राष्ट्रीय निधि का प्रबंध.- (1) राष्ट्रीय निधि का प्रबंध करने के लिए एक शासी निकाय होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

- (क) सचिव, केन्द्रीय सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग- अध्यक्ष;
- (ख) अध्यक्ष, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय न्यास बोर्ड - सदस्य;
- (ग) वित्तीय सलाहकार, केन्द्रीय सरकार का सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय - सदस्य;
- (घ) केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग), श्रम और नियोजन मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के दो प्रतिनिधि, जो संयुक्त-सचिव से पंक्ति से नीचे का न हो, वर्णानुक्रम के अनुसार चक्रानुक्रम से - सदस्य;
- (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति जो भिन्न-भिन्न किस्मों की निशक्तताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे - सदस्य;
- (च) केन्द्रीय सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का संयुक्त-सचिव – संयोजक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

(2) शासी निकाय उतनी बार अपने अधिवेशन करेगा, जितने वह आवश्यक समझे, किंतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन किया जाएगा।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।

(4) शासी निकाय का कोई भी सदस्य, उस अवधि के दौरान निधि का फायदाग्राही नहीं होगा, जिसके दौरान ऐसा सदस्य पद धारण करता है।

(5) नामनिर्दिष्ट गैर-शासकीय सदस्य शासी निकाय के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के संदाय के लिए पात्र होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।

(6) किसी भी व्यक्ति को उपनियम (1) के खंड (ङ) के अधीन शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, यदि वह –

- (क) किसी ऐसे अपराध को लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है या गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;
- (ख) किसी भी समय दिवालिये के रूप में अधिनिर्णीत किया जाता है या किया गया है।

42. राष्ट्रीय निधि का उपयोग.—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि और दिव्यांगजन राष्ट्रीय निधि के अधीन उपलब्ध रकम, मिलकर राष्ट्रीय निधि बनेंगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट दोनों निधियों के अधीन उपलब्ध सभी धन राष्ट्रीय निधि को अंतरित हो जाएंगे।

(3) निधि से संबंधित सभी धनों को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या उनका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जैसाकि शासी निकाय द्वारा केन्द्रीय सरकार के साधारण मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए विनिश्चय किया जाए।

(4) निधि का विनिधान ऐसी रीति में किया जाएगा, जो शासकीय निकाय द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(5) निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करने, जो विनिर्दिष्ट रूप से केन्द्रीय सरकार की किसी स्कीम और कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं या पर्याप्त रूप से केन्द्रीय सरकार की किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन वित्तपोषित नहीं है ;

(ख) निधि के प्रशासनिक और अन्य व्यय, जिन्हें इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपगत किया जाना अपेक्षित है ; और

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो शासी निकाय द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

(6) व्यय के प्रत्येक प्रस्ताव को शासी निकाय के समक्ष, उसके अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

(7) शासी निकाय, लेखापालों सहित अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यकता आधारित अपेक्षा के आधार पर निधि के प्रबंध और उपयोग की देखभाल करने के लिए उपयुक्त समझे।

43. बजट.—निधि का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए निधि के अधीन व्यय उपगत करने के लिए बजट तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास में निधि की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित किया जाएगा और उसे शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

44. वार्षिक रिपोर्ट.—दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय निधि के संबंधित एक अध्याय सम्मिलित होगा।

प्ररूप-1

(नियोक्ता द्वारा विवरणी)

[देखिए नियम 13(1)]

..... को समाप्त

छमाही के लिए विशेष रोजगार एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाने वाली छमासिक विवरणी

नियोक्ता का नाम और पता

क्या - मुख्यालय.....

शाखा कार्यालय है

कारबार/मुख्य कार्यकलाप की प्रकृति :.....

1(क) रोजगार

सरकारी स्थापन के पे-रोल पर व्यक्तियों की कुल संख्या, जिसके अंतर्गत प्रोपाइटर/भागीदार/कमीशन अभिकर्ता/ आकस्मिक संदत्त और ठेका श्रमिक हैं, किंतु जिसमें अंशकालिक कर्मकार और प्रशिक्षु नहीं हैं। (इन आंकड़ों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय सरकारी स्थापन द्वारा किया जाता है)।

पूर्व छमाही के अंतिम कार्य दिवस को				
अंधता और निम्न दृश्यता	बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है	चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है	आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग	स्तंभ (1) से (4) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

रिपोर्ट के अधीन छमाही के अंतिम कार्य दिवस को				
अंधता और निम्न दृश्यता	बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है	चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है	आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग	स्तंभ (1) से (4) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

दिव्यांगताग्रस्त पुरुष

दिव्यांगताग्रस्त महिला

योग -----

(क) यदि छमाही के दौरान वृद्धि या कमी पाँच प्रतिशत से अधिक है तो रोजगार में कमी या वृद्धि के मुख्य कारणों को उपदर्शित करें।

2. रिक्तियाँ:- रिक्तियाँ, जिनकी कुल परिलब्धियाँ प्रतिमास विद्यमान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार हैं और जो छह मास की अवधि से अधिक से हैं।

(क) छमाही के दौरान उद्भूत और अधिसूचित रिक्तियों की संख्या तथा छमाही के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या (दिव्यांग पुरुष और दिव्यांग महिलाओं के लिए पृथक् आंकड़े दिए जाएं)

रिक्तियों की संख्या, जो अधिनियम की परिधि में आती हैं

उद्भूत

अधिसूचित

भरी गई

स्रोत

(उस स्रोत का वर्णन करें, जिससे भरी गई हैं)

स्थानीय/विशेष रोजगार एक्सचेंज

साधारण रोजगार एक्सचेंज

(ख) 2(क) द्वारा रिपोर्ट के अधीन छमाही के दौरान उद्भूत सभी रिक्तियों को अधिसूचित न करने के कारण

3. जनशक्ति की कमी

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियाँ/ भरे नहीं गए पद

व्यवसाय या पद का नाम

भरी न गई रिक्तियाँ/पद (दिव्यांगता अनुसार)

अनिवार्य अर्हता

अनिवार्य अनुभव

अनुभव आवश्यक नहीं

1	2	3	4
---	---	---	---

कृपया किसी अन्य व्यवसाय को सूचीबद्ध करें, जिसके लिए सरकारी स्थापन ने उपयुक्त आवेदकों को अभिप्राप्त करने में कठिनाई अनुभव की है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर

तारीख

सेवा में

रोजगार एक्सचेंज

टिप्पण : यह विवरणी 31 मार्च और 30 सितंबर को समाप्त हुई छमाहियों के लिए है और इसे संबंधित छमाही के अंत के पश्चात् तीस दिन के भीतर विशेष रोजगार एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा।

प्ररूप-2**(दिव्यांगजन नियोक्ता की विवरणी)****[देखिए नियम 13(1)]**

स्थानीय विशेष रोजगार एक्सचेंज को दो वर्षों में एक बार प्रस्तुत की जाने वाली व्यवसाय विवरणी

नियोक्ता का नाम और पता

कारबार की प्रकृति

(कृपया वर्णन करें कि सरकारी स्थापन क्या बनाता है या उसका प्रधान कार्यकलाप क्या है)

- सरकारी स्थापन के पे-रोल पर विनिर्दिष्ट तारीख को व्यक्तियों की कुल संख्या, (इन आंकड़ों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय सरकारी स्थापन द्वारा किया जाता है) (दिव्यांग पुरुषों और दिव्यांग महिलाओं के लिए पृथक आंकड़े दिए जाएं।)
- ऊपर मद 1 में दिए गए सभी कर्मचारियों के व्यवसाय का वर्गीकरण (कृपया प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या नीचे पृथक्: दें।)

व्यवसाय

कर्मचारियों की संख्या

सटीक अभिव्यक्ति का उपयोग करें

दिव्यांग पुरुष

दिव्यांग महिला

योग

जैसे इंजीनियर (यांत्रिक) ;

शिक्षक (घरेलु/विज्ञान) कार्य

पर अधिकारी (बीमाकंक) ;

कृपया जहां तक संभव हो, प्रत्येक व्यवसाय में अनुमानित रिक्तियों

सहायक निदेशक (धातु
विज्ञान) ;
वैज्ञानिक सहायक (रसायनज्ञ) ;
अनुसंधान अधिकारी;
(अर्थशास्त्री)
अनुदेशक (बढ़ई);
पर्यवेक्षक (दर्जी)
फिटर (आंतरिक दहन इंजन) ;
निरीक्षक ;
स्वच्छता), कार्यालय अधीक्षक
प्रशिक्षु
वैद्युत मिस्त्री)

की संख्या दें, जिन्हें
आपके द्वारा अगले
कलेंडर वर्ष में
सेवानिवृत्ति के कारण
भरा जाएगा ।

योग

तारीख.....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

सेवा में

रोजगार एक्सचेंज

(कृपया यहां अपने स्थानीय रोजगार एक्सचेंज का पता भरें)

टिप्पण : मद-2 के अधीन स्तंभ 5 का योग मद-1 के सामने दिए गए आंकड़ों के अनुरूप होना चाहिए ।

प्ररूप-3

(दिव्यांगजन नियोक्ता की विवरणी)

[देखिए नियम 14]

नियोक्ता का नाम और पता

क्या - मुख्यालय.....

शाखा कार्यालय

कारबार/मुख्य कार्यकलाप की प्रकृति :.....

सरकारी स्थापन के पे-रोल पर व्यक्तियों की कुल संख्या (इन आंकड़ों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय सरकारी स्थापन द्वारा किया जाता है) ।

स्थापन के पे-रोल पर दिव्यांगजनों (दिव्यांगता-वार) की कुल संख्या (इन आंकड़ों में दिव्यांगताग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसकी मजदूरी या वेतन का संदाय स्थापन द्वारा किया जाता है) ।

(क) सभी कर्मचारियों की व्यवसायिक अर्हता (नीचे प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या पृथक्तः दें)

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या	योग
सटीक पद का उपयोग करें	दिव्यांग पुरुष	दिव्यांग महिला
जैसे इंजीनियर (यांत्रिक) ; शिक्षक (घरेलु/विज्ञान) कार्य पर अधिकारी (बीमाकंक) ; सहायक निदेशक (धातु विज्ञान) ; वैज्ञानिक सहायक (रसायनज्ञ) ; अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री); अनुदेशक (बढ़ई);		कृपया जहां तक संभव हो, प्रत्येक व्यवसाय में अनुमानित रिक्तियों की संख्या दें, जिन्हें आपके द्वारा अगले कलेंडर वर्ष में सेवानिवृत्ति के कारण भरा जाएगा।
योग		

(ख) यदि छमाही के दौरान वृद्धि या कमी पाँच प्रतिशत से अधिक है तो रोजगार में कमी या वृद्धि के मुख्य कारणों को उपदर्शित करें।

2. रिक्तियाँ:—रिक्तियाँ, जिनकी कुल परिलब्धियाँ प्रतिमास विद्यमान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार हैं और जो छह मास की अवधि से अधिक से हैं।

(क) छमाही के दौरान उद्भूत और अधिसूचित रिक्तियों की संख्या तथा छमाही के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या (दिव्यांग पुरुष और दिव्यांग महिलाओं के लिए पृथक् आंकड़े दिए जाएं)

रिक्तियों की संख्या, जो अधिनियम की परिधि में आती हैं

उद्भूत	अधिसूचित	भरी गई	स्रोत
	स्थानीय विशेष	साधारण	उस स्रोत का
	रोजगार एक्सचेंज	नियोजन	वर्णन करें, जिससे भरी गई हैं।

(ग) (क)2 द्वारा रिपोर्ट के अधीन छमाही के दौरान उद्भूत सभी रिक्तियों को

(घ) अधिसूचित न करने के कारण

3. जनशक्ति की कमी

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियाँ/न भरे गए पद

व्यवसाय या पद का नाम	भरी न गई रिक्तियाँ/पद
अनिवार्य अर्हता	अनिवार्य अनुभव अनुभव अपेक्षित नहीं है

कृपया किसी अन्य व्यवसाय को सूचीबद्ध करें, जिसके लिए सरकारी स्थापन ने उपयुक्त आवेदकों को अभिप्राप्त करने में कठिनाई अनुभव की है।

तारीख.....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप-4

दिव्यांगजनों द्वारा दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन
[नियम 17(1) देखिए]

- 1- नाम.....
(उपनाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)
- 2- पिता का नाम..... माता का नाम.....
- 3- जन्म की तारीख...../...../.....
(तारीख) (मास) (वर्ष)
- 4- आवेदन की तारीख को आयु.....वर्ष
- 5- लिंग: पुरुष/महिला/उभयचर
- 6- पता:
 - (क) स्थायी पता (ख) वर्तमान पता (पत्राचार आदि के लिए)
 -
 -
 - (ग) वर्तमान पते पर कब से रह रहे/रही हैं।
पता.....
- 7- शैक्षिक स्थिति (कृपया जो लागू हो निशान लगाएं)
 - (i) स्नातकोत्तर
 - (ii) स्नातक
 - (iii) डिप्लोमा
 - (iv) हायर सैकण्डरी
 - (v) हाई स्कूल
 - (vi) मिडिल
 - (vii) प्राइमरी
 - (viii) अनपढ़
- 8- व्यवसाय.....
- 9- पहचान के चिन्ह (1)..... (2).....
- 10- दिव्यांगता की प्रकृति:
- 11- अवधि जब से दिव्यांगता आई: जन्म/वर्ष से.....

- 12- (i) क्या आपने पूर्व में दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए कभी आवेदन किया है - हां/नहीं
- (ii) यदि हां, तो ब्यौरे:
- (क) किस प्राधिकारी को और किस जिले में आवेदन दिया गया
- (ख) आवेदन का परिणाम

13- क्या पूर्व में आपको कोई दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रति संलग्न करें।

घोषणा: घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथित सभी विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई भी तात्त्विक जानकारी छुपाई या मिथ्या कथन नहीं बताई गई है। मैं आगे यह भी कथन करता हूँ कि यदि आवेदन में कोई गलती पाई जाती है, तो मैं लिए गए किसी भी प्रकार के लाभ समपहरण और विधि के अनुसार अन्य कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

.....
दिव्यांग व्यक्ति या मानसिक मंदता, ऑटिज्म
प्रमस्तिष्क अंगघात और बहु निःशक्तता में
उसके/उसकी विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या
बाएं अंगूठे का निशान

तारीख:

स्थान:

संलग्न:

1- निवास का प्रमाण (कृपया जो लागू हो निशान लगाएं)

- (क) राशन कार्ड
- (ख) मतदाता पहचानपत्र
- (ग) ड्राइविंग लाइसेंस
- (घ) बैंक पासबुक
- (ङ) पैन कार्ड
- (च) पासपोर्ट
- (छ) आवेदक के पते को उपदर्शित करता टेलीफोन, बिजली, पानी और कोई अन्य उपयोगिता संबंधी बिल
- (ज) पंचायत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी या संबंधित पटवारी या शासकीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र
- (झ) दिव्यांग व्यक्ति, निराश्रित, मानसिक रूग्ण इत्यादि के लिए आवासीय संस्था के वासी की दशा में, ऐसे संस्थान के प्रमुख से निवास का प्रमाणपत्र

2- दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो

.....
(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

तारीख:

स्थान:

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर

प्ररूप-5

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(अंगोच्छेदन या अंगों की पूर्ण स्थाई अंगघात, बौनापन और अंधापन की दशा में)

[नियम 18(1) देखिए]

(प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्ति का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार
का सत्यापित फोटोग्राफ
(केवल चेहरा दिखता
हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री
श्री.....जन्म की तारीख.....आयु.....वर्ष, पुरुष/
(तारीख/मास/वर्ष)

महिला.....रजिस्ट्रेशन नं. मकान नं.

..... वार्ड/गाँव/गली.....

डाकघर..... जिला

राज्य.....का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जांच
कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि :—

(क) यह मामला

- चलन संबंधी दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीन का है

(कृपया जो लागू हो, उस पर ठीक का निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में निदान है।

(ग) उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांतों (.....मार्गदर्शक की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट किया जाना
है) के अनुसार उनके (शरीर के अंग) के संबंध में स्थापना.....% (अंक में)
प्रतिशत (शब्दों में) स्थाई चलन दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता है।

2. आवेदक ने निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:—

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर और मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी होना है

प्ररूप-6
प्रमाणपत्र
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(बहु दिव्यांगता की दशा में)

[नियम 18(1) देखिए]
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या:

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....जन्म की तारीख.....आयु.....वर्ष, पुरुष/ (तारीख/मास/वर्ष)

महिला.....रजिस्ट्रेशन नं. मकान नं.
..... वार्ड/गाँव/गली.....

डाकघर जिला राज्य.....का
स्थायी निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और हम संतुष्ट हैं कि

(क) यह मामला *बहु दिव्यांगता* के लिए है। उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/दिव्यांगता को निम्नलिखित दिव्यांगताओं हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और निम्नलिखित सारणी में दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है।

क्रम सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/मानसिक दिव्यांगता (%में)
1.	चलन संबंधी दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3.	ठीक किया हुआ कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्क घात			
6.	अम्ल हमले की पीड़ित			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीनता	#		
9.	श्रवण क्षति	£		
10.	सुनने में कठिनाई	£		
11.	वाक और भाषा दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
15.	मानसिक रुग्णता			
16.	क्रोनिक स्नायविक स्थिति			
17.	बहुल काठिन्य			
18.	पार्किन्सन रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपरोक्त के मद्देनजर उनकी समग्र स्थाई शारीरिक क्षति मार्गदर्शक सिद्धांतों (.....मार्गदर्शक की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार इस प्रकार हैं :-

अंकों में.....प्रतिशत
शब्दों में.....प्रतिशत

2. यह स्थिति वर्धनशील/अवर्धनशील/इसमें सुधार होने की संभावना/सुधार न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii)वर्ष.....मास के पश्चात सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र.....तक.....विधिमान्य रहेगा।
(तारीख) (मास) (वर्ष)

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं/पैर

अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें

£ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के सबूत प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :—

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे की
निशान जिसके पक्ष में
दिव्यांगता प्रमाणपत्र
जारी किया गया।

प्ररूप-7

दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(प्रारूप 5 और प्रारूप 6 में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)
[नियम 18(1) देखिए]

दिव्यांग व्यक्ति का
हाल
ही का पासपोर्ट आकार
का सत्यापित
फोटोग्राफ
(केवल चेहरा दिखता
हुआ)

प्रमाणपत्र संख्या:

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री
श्री.....जन्म की
तारीख.....आयु.....वर्ष, पुरुष/महिला.....रजिस्ट्रेशन
(तारीख/मास/वर्ष)

नं. मकान नं.
वार्ड/गाँव/गली..... डाकघर जिला
..... राज्य.....का स्थाई निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है
की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है तथा मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि यहदिव्यांगता का मामला है।
इसकी शारीरिक क्षति/दिव्यांगता का मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार (.....मार्गदर्शक की संख्या और
जारी करने की तिथि विनिर्दिष्ट किया जाना है) किया गया है तथा यह निम्नलिखित सारणी में दिव्यांगता के सामने
दर्शाया गया है :—

क्रम सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ दिव्यांगता (%में)
1.	चलन संबंधी दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकास			
3.	ठीक किया हुआ कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्क घात			
5.	अम्ल हमले की पीड़ित			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	£		

8.	श्रवण क्षति	£		
9.	वाक और भाषा दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर			
13.	मानसिक रूग्णता			
14.	क्रोनिक स्नायविक स्थिति			
15.	बहुल काठिन्य			
16.	पार्किन्सन रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

जो लागू न हो उसे काट दें।

2. उपरोक्त स्थिति वर्धनशील/अवर्धनशील है इसमें सुधार होने की संभावना/सुधार न होने की संभावना है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन की:-

(i) आवश्यकता नहीं है,

या

(ii)वर्ष.....मास के पश्चात सिफारिश की जाती है और इसलिए यह

प्रमाणपत्र तारीख..... मास..... वर्ष तक विधिमान्य रहेगा।

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं/पैर

अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें

£ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :—

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम और मोहर)

प्रति हस्ताक्षर

(चिकित्सा प्राधिकारी, जो सरकारी सेवक

नहीं है, के द्वारा जारी प्रमाणपत्र की दशा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा

अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रधान का

प्रतिहस्ताक्षर और मोहर)

टिप्पणी: यदि यह प्रमाणपत्र चिकित्सा प्राधिकारी, जो सरकारी सेवा में नहीं है, के द्वारा जारी किया जाता है तो यह विधिमान्य तभी होगा जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।

प्ररूप-8

[दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन को अस्वीकार करने की सूचना]

[नियम 18(4) देखिए]

संख्या _____

तारीख :

सेवा में,

(दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए

आवेदक का नाम और पता)

विषय : दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आवेदन का अस्वीकार किया जाना

महोदय/महोदया,

कृपया तारीख के निम्नलिखित दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के आवेदन का संदर्भ लें :

2. पूर्वोक्त आवेदन के अनुसरण में आपकी निम्नलिखित हस्ताक्षरी/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा को जांच की गई और मुझे यह सूचित करते हुए अफसोस हो रहा है कि नीचे दिए गए कारणों से आपके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करना संभव नहीं है :

(i)

(ii)

(iii)

3. यदि आप अपने आवेदन को अस्वीकार किए जाने से व्यथित हैं तो आप इस विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध करने के लिए को अभ्यावेदन दे सकते हैं।

भवदीय,

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

(नाम और मुहर)

[फा. सं. 03-01/2017-डीडी-III]

डौली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th June, 2017

G.S.R. 591(E).—Whereas a draft of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 was published as required by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 398 (E), dated the 21st April, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 22nd April, 2017;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft rules were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I**PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);

(b) "certificate" means a certificate of disability issued under section 57 of the Act;

(c) "Form" means a form appended to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II**RIGHTS AND ENTITLEMENTS**

3. Establishment not to discriminate on the ground of disability.- (1) The head of the establishment shall ensure that the provision of sub-section (3) of section 3 of the Act are not misused to deny any right or benefit to persons with disabilities covered under the Act.

(2) If the head of the Government establishment or a private establishment employing twenty or more persons receives a complaint from an aggrieved persons regarding discrimination on the ground of disability, he shall -

(a) initiate action in accordance with the provisions of the Act; or

(b) inform the aggrieved person in writing as to how the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim.

(3) If the aggrieved person submits a complaint to the Chief Commissioner or State Commissioner for Persons with Disabilities, as the case may be, the complaint shall be disposed of within a period of sixty days:

Provided that in exceptional cases, the Chief Commissioner or State Commissioner may dispose of such complaint within thirty days.

(4) No establishment shall compel a person with disability to partly or fully pay the costs incurred for reasonable accommodation.

4. Central Committee for Research on Disability.- (1) The Central Committee for Research on Disability shall consist of the following persons, namely:-

- (i) an eminent person having vast experience in the field of science or medicine, to be nominated by the Central Government, *ex officio*-Chairperson;
- (ii) nominee of the Director General of Health Services not below the rank of Deputy Director General –Member;
- (iii) four persons drawn from National Institutes representing physical, visual, hearing and intellectual disabilities, to be nominated by the Central Government – Members;
- (iv) five persons as representatives of the registered organisations, from each of the five groups of specified disabilities in the Schedule to the Act, to be nominated by the Central Government – Members:

Provided that at least one representative of the registered organizations is a woman;

- (v) the Director, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, New Delhi shall be the Member Secretary.

(2) The Chairperson may invite any expert as a special invitee.

(3) The term of office of the nominated members shall be for a period of three years from the date on which they enter upon office, and the nominated member shall be eligible for re-nomination for one more term.

(4) One half of the members shall constitute the quorum for the meeting.

(5) The non-official members and special invitees shall be entitled for travelling allowance and daily allowance as admissible to a Group “A” officer of the Central Government.

(6) The Central Government may provide the Committee with such clerical and other staff as it deems necessary.

5. Person with disability not to be a subject of research.- No person with disability shall be a subject of research except when the research involves physical impact on his body.

6. Procedure to be followed by Executive Magistrate.- For the purposes of dealing with the complaints under section 7 of the Act, the Executive Magistrate shall follow the procedure provided in sections 133 to 143 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

CHAPTER III

NODAL OFFICER IN THE DISTRICT EDUCATION OFFICE

7. There shall be a nodal officer in the District Education Office to deal with all matters relating to admission of children with disabilities and the facilities to be provided to them in schools in accordance with the provisions of sections 16 and 31 of the Act.

CHAPTER IV

EMPLOYMENT

8. Manner of publication of equal opportunity policy.- (1) Every establishment shall publish equal opportunity policy for persons with disabilities.

(2) The establishment shall display the equal opportunity policy preferably on their website, failing which, at conspicuous places in their premises.

(3) The equal opportunity policy of a private establishment having twenty or more employees and the Government establishments shall *inter alia*, contain the following, namely:-

- (a) facility and amenity to be provided to the persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment;
- (b) list of posts identified suitable for persons with disabilities in the establishment;
- (c) the manner of selection of persons with disabilities for various posts, post-recruitment and pre-promotion training, preference in transfer and posting, special leave, preference in allotment of residential accommodation if any, and other facilities;
- (d) provisions for assistive devices, barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities;
- (e) appointment of liaison officer by the establishment to look after the recruitment of persons with disabilities

and provisions of facilities and amenities for such employees.

(4) The equal opportunity policy of the private establishment having less than twenty employees shall contain facilities and amenities to be provided to the persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment.

9. Form and manner of maintaining records by the establishments.- (1) Every establishment covered under sub-rule (3) of rule 8 shall maintain records containing the following particulars, namely:-

- (a) the number of persons with disabilities who are employed and the date from when they are employed;
- (b) the name, gender and address of persons with disabilities;
- (c) the nature of disability of such persons;
- (d) the nature of work being rendered by such employed person with disability; and
- (e) the kind of facilities being provided to such persons with disabilities.

(2) Every establishment shall produce for inspection on demand, records maintained under these rules, to the authorities under this Act and shall supply such information which may be required for the purpose of ascertaining whether the provisions have been complied with.

10. Manner of maintenance of register of complaints by the Government establishments.- (1) Every Government establishment shall appoint an officer not below the rank of a Gazetted Officer as Grievance Redressal Officer:

Provided that where it is not possible to appoint any Gazetted Officer, the Government establishment may appoint the senior most Officer as a Grievance Redressal Officer.

(2) The Grievance Redressal Officer shall maintain a register of complaints of persons with disabilities with the following particulars, namely:-

- (a) date of complaint;
- (b) name of complainant;
- (c) name of the person who is enquiring the complaint;
- (d) place of incident;
- (e) the name of establishment or person against whom the complaint is made;
- (f) gist of the complaint;
- (g) documentary evidence, if any;
- (h) date of disposal by the Grievance Redressal Officer;
- (i) details of disposal of the appeal by the district level committee; and
- (j) any other information.

CHAPTER V

VACANCIES FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES

11. Computation of vacancies.- (1) For the purposes of computation of vacancies, four percent of the total number of vacancies including vacancies arising in the identified and non-identified posts in the cadre strength in each group of posts shall be taken into account by the appropriate Government for the persons with benchmark disabilities:

Provided that the reservation in promotion shall be in accordance with the instructions issued by the appropriate Government from time to time.

(2) Every Government establishment shall maintain a vacancy based roster for the purpose of calculation of vacancies for persons with benchmark disabilities in the cadre strength as per the instructions issued by the appropriate Government from time to time.

(3) While making advertisement to fill up vacancies, every Government establishment shall indicate the number of vacancies reserved for each class of persons with benchmark disabilities in accordance with the provisions of section 34 of the Act.

(4) The reservation for persons with disabilities in accordance with the provisions of section 34 of the Act shall be horizontal and the vacancies for persons with benchmark disabilities shall be maintained as a separate class.

12. Interchange of vacancies.- The Government establishment shall interchange vacancies in accordance with the provisions of section 34 of the Act, only if due process of recruitment to fill up the vacancies reserved for persons with benchmark disabilities has been complied with.

13. Submission of Returns on Vacancies.- (1) Every Government establishment shall furnish to the local special employment exchange returns in Form - I once in every six months for the period from 1st April to 30th September and from 1st October to 31st March, and in Form -II once in every two years.

(2) The six monthly return shall be furnished within thirty days of the respective dates which is, 31st March and, 30th September of every financial year.

(3) The two yearly return shall be furnished within thirty days of the closing of every alternate financial year:

Provided that the first two yearly returns shall be furnished for the financial year closing on 31st March, 2019.

14. Form in which record to be kept by an employer.- Every Government establishment shall maintain the record of employees with disabilities in Form - III.

CHAPTER VI ACCESSIBILITY

15. Rules for Accessibility.- (1) Every establishment shall comply with the following standards relating to physical environment, transport and information and communication technology, namely :-

- (a) standard for public buildings as specified in the Harmonised Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons With Disabilities and Elderly Persons as issued by the Government of India, Ministry of Urban Development in March, 2016;
- (b) standard for Bus Body Code for transportation system as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, *vide* number G.S.R. 895(E), dated the 20th September, 2016;
- (c) Information and Communication Technology-
 - (i) website standard as specified in the guidelines for Indian Government websites, as adopted by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India;
 - (ii) documents to be placed on websites shall be in Electronic Publication (ePUB) or Optical Character Reader (OCR) based pdf format:

Provided that the standard of accessibility in respect of other services and facilities shall be specified by the Central Government within a period of six months from the date of notification of these rules.

(2) The respective Ministries and Departments shall ensure compliance of the standards of accessibility specified under this rule through the concerned domain regulators or otherwise.

16. Review of Accessibility Standards.- The Central Government shall review from time to time the accessibility standards notified based on the latest scientific knowledge and technology.

CHAPTER VII CERTIFICATE OF DISABILITY

17. Application for certificate of disability.- (1) Any person with specified disability may apply in Form -IV for a certificate of disability and submit the application to -

- (a) a medical authority or any other notified competent authority to issue such a certificate in the district of residence of the applicant as mentioned in the proof of residence in the application; or
- (b) the concerned medical authority in a government hospital where he may be undergoing or may have undergone treatment in connection with his disability:

Provided that where a person with disability is a minor or suffering from intellectual disability or any other disability which renders him unfit or unable to make such an application himself, the application on his behalf may be made by his legal guardian or by any organisation registered under the Act having the minor under its care.

(2) The application shall be accompanied by -

- (a) proof of residence;
- (b) two recent passport size photographs; and
- (c) aadhaar number or aadhaar enrollment number, if any.

Note.- No other proof of residence shall be demanded from the applicant who has aadhaar or aadhaar enrollment number.

18. Issue of certificate of disability.- (1) On receipt of an application under rule 17, the medical authority or any other notified competent authority shall, verify the information as provided by the applicant and shall assess the disability in terms of the relevant guidelines issued by the Central Government and after satisfying himself that the applicant is a person with disability, issue a certificate of disability in his favour in Form V, VI and VII, as the case may be.

(2) The medical authority shall issue the certificate of disability within a month from the date of receipt of the application.

(3) The medical authority shall, after due examination -

- (i) issue a permanent certificate of disability in cases where there are no chances of variation of disability over time in the degree of disability; or
- (ii) issue a certificate of disability indicating the period of validity, in cases where there is any chance of variation over time in the degree of disability.

(4) If an applicant is found ineligible for issue of certificate of disability, the medical authority shall convey the reasons to him in writing under Form VIII within a period of one month from the date of receipt of the application.

(5) The State Government and Union territory Administration shall ensure that the certificate of disability is granted on online platform from such date as may be notified by the Central Government.

19. Certificate issued under rule 18 to be generally valid for all purposes.- A person to whom the certificate issued under rule 18 shall be entitled to apply for facilities, concessions and benefits admissible for persons with disabilities under schemes of the Government and of non-Governmental organizations funded by the Government.

20. Validity of certificate of disability issued under the repealed Act.-

The certificate of disability issued under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) shall continue to be valid after commencement of the Act for the period specified therein.

CHAPTER VIII

CENTRAL ADVISORY BOARD ON DISABILITY

21. Allowances for the members of the Central Advisory Board.- (1) The non-official members of the Central Advisory Board, in Delhi, shall be paid an allowance of rupees two thousand per day for each day of the actual meeting.

(2) The non-official members of the Central Advisory Board, not residing in Delhi shall be paid daily allowance and travelling allowance for each day of the actual meeting at the rate admissible to a Group "A" officer of the Central Government:

Provided that in case a Member of Parliament who is a Member of the Central Advisory Board, the daily allowance and travelling allowance shall be paid at the rate admissible to him as Member of Parliament when the Parliament is not in session and on production of a certificate by the Member that he has not drawn any such allowance for the same journey and halts from any other Government source.

(3) The official member of the Central Advisory Board shall be paid daily allowance and travelling allowance, at the rate admissible under the relevant rules of the respective Government under whom he is serving on production of a certificate by him that he has not drawn any such allowance for the same journey and halts from any other Government source.

22. Notice of meeting.- (1) The meeting of the Central Advisory Board on disability shall ordinarily be held in New Delhi on such dates as may be fixed by the Chairperson:

Provided that it shall meet at least once in every six months.

(2) The Chairperson shall, on the written request of not less than ten members of the Central Advisory Board, call a special meeting of the Board.

(3) The Member-Secretary shall give fifteen clear days' notice of an ordinary meeting and five clear days' notice of a special meeting specifying the time and the place at which such meeting is to be held and the business to be transacted thereat.

(4) The Member-Secretary may give notice to the members by delivering the same by messenger or sending it by registered post to his last known place of residence or business or by email or in such other manner as the Chairperson may, in the circumstances of the case, think fit.

(5) No member shall be entitled to bring forward for the consideration of the meeting, any matter of which he has not given ten clear days' notice to the Member-Secretary, unless the Chairperson may permit him to do so.

(6) The Central Advisory Board may adjourn its meeting from day to day or to any particular day.

(7) Where a meeting of the Central Advisory Board is adjourned from day to day, the Member-Secretary shall give notice of such adjourned meeting at the place where the meeting is adjourned, if held, by messenger and it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting to other members.

(8) Where a meeting of the Central Advisory Board is adjourned not from day to day but from the day on which the meeting is to be held to another day, notice of such meeting shall be given to all the members as provided in sub-rule (4).

23. Presiding officer.- The Chairperson shall preside over every meeting of the Central Advisory Board and in his absence, the Vice-Chairperson shall preside, but when both the Chairperson and the Vice-Chairperson are absent from any meeting, the members present shall elect one of the members to preside over that meeting.

24. Quorum.- (1) One-third of the total members of the Central Advisory Board shall form the quorum for any meeting.

(2) If time fixed for any meeting or during the course of any meeting, less than one-third of the total members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to such hours on the following or on some other future date as he may fix.

(3) No quorum shall be necessary for the adjourned meeting.

(4) No matter, which had not been on the agenda of the ordinary or the special meeting, as the case may be, shall be discussed at adjourned meeting.

25. Minutes.- (1) The Member-Secretary shall maintain the record containing the names of members who attended the meeting and of the proceedings at the meetings in a book to be kept for that purpose.

(2) The minutes of the previous meeting shall be read at the beginning of the every succeeding meeting, and shall be confirmed and signed by the presiding officer at such meeting.

(3) The proceedings shall be open to inspection by any member at the office of the Member-Secretary during office hours.

26. Business to be transacted at meeting.- Except with the permission of the presiding officer, no business which is not entered in the agenda or of which notice has not been given by a member under sub-rule (5) of rule 22 shall be transacted at any meeting.

27. Agenda for the meeting of the Central Advisory Board.- (1) The business of the meeting shall be transacted in the order in which it is entered in the agenda, unless otherwise resolved in the meeting with the permission of the presiding officer.

(2) At the beginning of the meeting or after the conclusion of the debate on a motion during the meeting, the presiding officer or a member may suggest a change in the order of business as entered in the agenda and if the Chairperson agrees, such a change shall take place.

28. Decision by majority.- All questions considered at a meeting of the Committee shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson, or in the absence of the Chairperson, the Vice-Chairperson or in the absence of both the member presiding at the meeting, as the case may be, shall have a second or casting vote.

29. No proceeding to be invalid due to vacancy or any defect.- No proceeding of the Central Advisory Board shall be invalid by reason of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board.

CHAPTER IX

CHIEF COMMISSIONER AND COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

30. Qualification for appointment of Chief Commissioner.- No person shall be eligible for appointment as Chief Commissioner, unless -

(a) he is a Graduate from a recognized University:

Provided that preference shall be given to persons having recognised degree or diploma in social work or law or management or human rights or rehabilitation or education of persons with disabilities;

(b) he is having experience of at least twenty-five years in a Group "A" level post in the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or a semi Government or an autonomous body dealing with disability related matters or social sector or as a senior level functionary in registered national and international voluntary organizations in the field of disability or social development:

Provided that out of the total of twenty-five years of experience, he should have at least three years of experience in the field of rehabilitation or empowerment of persons with disabilities; and

(c) he has not attained the age of sixty years as on 1st January of the year of recruitment.

Note.- If he is in the service under the Central Government or a State Government, he shall seek retirement from such service before his appointment to the post.

31. Qualification for appointment of Commissioner. – No person shall be eligible for appointment as Commissioner, unless-

(a) he is a Graduate from a recognized University:

Provided that preference shall be given to persons having recognised degree or diploma in social work or law or management or human rights or rehabilitation or education of persons with disabilities.

(b) he is having at least twenty years experience in a Group “A” level post in the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or a semi Government or an autonomous body dealing with disability related matters or social sector or as senior level functionary in registered national and international voluntary organizations in the field of disability or social development; and

(c) he has not attained the age of fifty-six years as on 1st January of the year of recruitment.

32. Method of appointment of the Chief Commissioner and Commissioner.– (1) The Central Government shall, six months before the post of Chief Commissioner is due to fall vacant, advertise in at least two national level dailies each in English and Hindi inviting applications for the post from eligible candidates fulfilling the qualifications specified in rules 30 and 31.

(2) A search-cum-selection committee shall be constituted to recommend a panel of three suitable candidates for the post of the Chief Commissioner or the Commissioner.

(3) The search-cum-selection committee shall be constituted in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.

(4) The panel recommended by the committee may consist of persons from amongst those who have applied in response to the advertisement mentioned in sub-rule (1) and other eligible persons whom the Committee may consider suitable.

(5) The Central Government shall appoint one of the candidates recommended by the search-cum-selection committee as the Chief Commissioner or the Commissioner.

33. Term of the Chief Commissioner and Commissioner.– (1) The term of office of Chief Commissioner shall be for a period of three years from the date on which he assumes office, or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) The term of office of the Commissioner shall be for a period of three years and may be extended for a period of another two years or till he attains the age of sixty years, whichever is earlier.

(3) A person may serve as Chief Commissioner or Commissioner for a maximum period of two terms subject to the condition that he has not attained the age of sixty-five years, or sixty years, respectively.

34. Salary and allowances of the Chief Commissioner and Commissioner.– (1) The Chief Commissioner shall be entitled for the salary and allowances as admissible to a Secretary to the Government of India.

(2) The Commissioner shall be entitled for the salary and allowances as admissible to a Additional Secretary to the Government of India.

(3) Where a Chief Commissioner or the Commissioner being a retired Government servant or a retired employee of any institution or autonomous body funded by the Government, is in receipt of pension in respect of such previous service, the salary admissible to him under these rules shall be reduced by the amount of the pension, and if he had received in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of such commuted portion of the pension.

35. Other terms and conditions of service of the Chief Commissioner and Commissioner.– (1) The Chief Commissioner and the Commissioner shall be entitled to such leave as is admissible to a Government servant under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

(2) The Chief Commissioner and the Commissioner shall be entitled to such leave travel concession as is admissible to a Group “A” officer under the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988.

(3) The Chief Commissioner and the Commissioner shall be entitled to such medical benefits as is admissible to a Group “A” officer under the Central Government Health Scheme.

36. Resignation and removal.– (1) The Chief Commissioner and the Commissioner may, by notice in writing, under his hand, addressed to the Central Government, resign from the office:

Provided that he shall continue in the office till his resignation is accepted.

(2) The Central Government may remove a person from the office of the Chief Commissioner and the Commissioner, if he -

- (a) becomes an undischarged insolvent;
- (b) engages during his term of office in any paid employment or activity outside the duties of his office;
- (c) is convicted or sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Central Government involves moral turpitude;
- (d) is in the opinion of the Central Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or serious default in the performance of his functions as laid down in the Act;
- (e) without obtaining leave of absence from the Central Government, remains absent from duty for a consecutive period of fifteen days or more; or
- (f) has, in the opinion of the Central Government, so abused the position of the Chief Commissioner and Commissioner as to render his continuance in office detrimental to the interest of persons with disability:

Provided that no person shall be removed under this rule except after following the procedure, *mutatis mutandis*, applicable for removal of a Group "A" employee of the Central Government.

(3) The Central Government may suspend the Chief Commissioner and the Commissioner, in respect of whom proceedings for removal have been commenced in accordance with sub-rule (2), pending conclusion of such proceedings.

37. Residuary provision.— The conditions of service of the Chief Commissioner and the Commissioner in respect of which no express provision has been made in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to the Secretary and Additional Secretary to the Government of India, as the case may be.

38. Procedure to be followed by Chief Commissioner and Commissioner.— (1) An aggrieved person may present a complaint containing the following particulars in person or by his agent to the Chief Commissioner or the Commissioner or send it by registered post or by email addressed to the Chief Commissioner or the Commissioner, namely:-

- (a) the name, description and the address of the aggrieved person;
- (b) the name, description and the address of the opposite party or parties, as the case may be, so far as they may be ascertained;
- (c) the facts relating to complaint and when and where it arose;
- (d) documents in support of the allegations contained in the complaint; and
- (e) the relief which the aggrieved person claims.

(2) The Chief Commissioner or the Commissioner on receipt of a complaint shall refer a copy of the complaint to the opposite party or parties mentioned in the complaint, directing him to give his version of the case within a period of thirty days or such extended period not exceeding fifteen days as may be granted by the Chief Commissioner or the Commissioner.

(3) On the date of hearing or any other date to which hearing could be adjourned, the parties or their agents shall appear before the Chief Commissioner or the Commissioner.

(4) Where the aggrieved person or his agent fails to appear before the Chief Commissioner or the Commissioner on such days, the Chief Commissioner or the Commissioner may either dismiss the complaint on default or decide on merits.

(5) Where the opposite party or his agent fails to appear on the date of hearing, the Chief Commissioner or the Commissioner may take such necessary action under section 77 of the Act as he deems fit for summoning and enforcing the attendance of the opposite party.

(6) The Chief Commissioner or the Commissioner may dispose of the complaint *ex-parte*, if necessary.

(7) The Chief Commissioner or the Commissioner may on such terms as he deems fit and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of the complaint.

(8) The Chief Commissioner or the Commissioner shall decide the complaint as far as possible within a period of three months from the date of receipt of notice by the opposite party.

39. Advisory Committee to assist the Chief Commissioner.— (1) The Central Government shall appoint an Advisory Committee comprising of the following members, namely:-

- (a) five experts to represent each of the five groups of specified disabilities mentioned in the Schedule to the Act of

whom two shall be women;

(b) three experts in the field of barrier-free environment-

(i) one expert from physical environment;

(ii) one expert from transportation system; and

(iii) one expert from information and communication technology or other services and facilities provided to the public;

(c) one expert in the area of employment of persons with disabilities;

(d) one legal expert; and

(e) one expert as recommended by the Chief Commissioner for Persons with Disabilities.

(2) The Chief Commissioner may invite subject or domain expert as per the need who shall assist him in meeting or hearing and in preparation of the report.

(3) The tenure of the members of the Advisory Committee shall be for a period of three years and the members shall not be eligible for re-nomination.

(4) The non-official members of the Advisory Committee, in Delhi, shall be paid an allowance of rupees two thousand per day for each day of the actual meeting.

(5) The non-official members of the Advisory Committee, not residing in Delhi, shall be paid daily allowance and travelling allowance for each day of the actual meeting at the rate admissible to a Group "A" officer of the Central Government.

40. Submission of Annual Report.- (1) The Chief Commissioner, shall as soon as possible, after the end of the financial year but not later than the 30th day of September in the next year ensuing prepare and submit to the Central Government, an annual report giving a complete account of his activities during the said financial year.

(2) In particular, the annual report referred to in sub-rule (1) shall contain information in respect of each of the following matters, namely:-

(a) names of its officers and staff and a chart showing the organisational set up;

(b) the functions which the Chief Commissioner has been empowered under sections 75 and 76 of the Act and the highlights of the performance in this regard;

(c) the main recommendations made by the Chief Commissioner;

(d) the progress made in the implementation of the Act; and

(e) any other matter deemed appropriate for inclusion by the Chief Commissioner or specified by the Central Government from time to time.

CHAPTER X

NATIONAL FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

41. Management of National Fund.- (1) There shall be a governing body consisting of following members to manage the National Fund, namely:-

(a) Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, in the Central Government - Chairperson;

(b) Chairperson, Board of National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities - Member;

(c) Financial Advisor, Ministry of Social Justice and Empowerment, in the Central Government - Member;

(d) two representatives from the Ministry of Health and Family Welfare, Department of School Education and Literacy, Department of Higher Education, Ministry of Labour and Employment, Department of Financial Services and Department of Rural Development in the Central Government, not below the rank of a Joint Secretary, by rotation in alphabetical order - Members;

(e) two persons representing different types of disabilities to be nominated by the Central Government, by rotation - Members;

(f) Joint Secretary in the Department of Empowerment of Persons with Disabilities in the Central Government - Convener and Chief Executive Officer.

(2) The governing body shall meet as often as necessary, but at least once in every financial year.

- (3) The nominated members shall hold office for not more than three years.
- (4) No member of the governing body shall be a beneficiary of the Fund during the period such member holds office.
- (5) The nominated non-official members shall be eligible for payment of travelling allowance and daily allowance as admissible to a Group 'A' employees of the Central Government for attending the meetings of the governing body.
- (6) No person shall be nominated under clause (e) of sub-rule (1) as a member of the governing body if he -
- is, or has been, convicted of an offence, which in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
 - is, or at any time has been, adjudicated as an insolvent.

42. Utilisation of the National Fund.- (1) The amount available under the Trust Fund for empowerment of persons with disabilities and the National Fund for people with disabilities, as on the date of the commencement of the Act, shall form the National Fund.

(2) All monies available under the two Funds referred to in sub-rule (1) shall stand transferred to the National Fund.

(3) All monies belonging to the Fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as the governing body, may, subject to the general guidelines of the Central Government, decide.

(4) The Fund shall be invested in such manner as may be decided by the governing body.

(5) The Fund shall be utilized for the following purposes, namely:-

- financial assistance in the areas which are not specifically covered under any scheme and programme of the Central Government or are not adequately funded under any scheme or programme of the Central Government;
- for the purpose of implementation of the provisions of the Act;
- administrative and other expenses of the Fund, as may be required to be incurred by or under this Act; and
- such other purposes as may be decided by the governing body.

(6) Every proposal of expenditure shall be placed before the governing body for its approval.

(7) The governing body may appoint secretarial staff including accountants, with such terms and conditions, as it may think appropriate, to look after the management and utilisation of the Fund.

43. Budget.- The Chief Executive Officer of the Fund shall prepare the budget for incurring expenditure under the Fund for each financial year showing the estimated receipt and expenditure of the Fund, in January every year and shall place the same for consideration of the governing body.

44. Annual Report.- The annual report of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities shall include a chapter on National Fund.

FORM-I

(Persons with Disabilities Employer's Return)

[See rule 13 (1)]

Six monthly return to be submitted to the Special Employment Exchange for the half year ended.....

Name and Address of the Employer.....

Whether - Head Office.....

Branch Office.....

Nature of business/principal activity:.....

- Employment
 - Total number of persons including working proprietors/ partners/ commission agents/contingent paid and contractual workers, on the pay rolls of the Government establishment excluding part-time workers and apprentices. (The figures should include every person whose wage or salary is paid by the Government establishment).

On the last working day of the previous half year				
Blindness and low vision	Deaf and hard of hearing	Locomotive disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy	Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness	Multiple disabilities from amongst persons with disabilities under columns (1) to (4) including deaf-blindness
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

On the last working day of the half year under report				
Blindness and low vision	Deaf and hard of hearing	Locomotive disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy	Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness	Multiple disabilities from amongst persons with disabilities under columns (1) to (4) including deaf-blindness
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Men with disability

Women with disability

Total -----

(b) Please indicate the main reasons for any increase or decrease in employment if the increase or decrease is more than 5% during the half year.

2. Vacancies.- Vacancies carrying total emoluments as per prevailing minimum wage per month and of over six months duration.

(a) Number of vacancies occurred and notified during the half year and the number filled during the half year (Separate figures may be given for men with disability and women with disability).

Number of vacancies which come within the purview of the Act.

Occurred Notified Filled Source

(Describe the source from which filled)

Local/Special Employment Exchange

General Employment Exchange

(b) Reasons for not notifying all vacancies occurred during the half year under report vide 2(a)

3. Manpower Shortages

Vacancies/posts unfilled because of shortage of suitable applicants.

Name of the occupation or Designation of the posts	Number of unfilled essential qualification	vacancies/posts essential experience	disability wise experience not necessary
1	2	3	4

Please list any other occupations for which this Government establishment had recently any difficulty in obtaining suitable applicants.

Signature of employer

Dated.....

To

The Employment Exchange

Note.- This return relates to half yearly ending 31st March/30th September and shall be rendered to the local Special Employment Exchange within thirty days after the end of the half year concerned.

Form -II

(Persons with Disabilities Employer's Return)

[See rule 13 (1)]

Occupational return to be submitted to the local Special Employment Exchange once in two years.

Name and Address of the Employer.....

Nature of business.....

(describe what the Government establishment makes or does as its principal activity)

1. Total number of persons on the pay rolls of the Government establishment on
(Specify date).....(This figure should include every person whose wage or salary is paid by the Government establishment)(Separate figures for men with disability and women with disability may be given).
2. Occupational classification of all employees as given in item -1 above.
(please give below the number of employees in each occupation separately)

Occupation	Number of Employees		Total	
	Men with disability	Women with disability		
Use exact terms				Please give as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next calendar year due to retirement.
Such as Engineer (Mechanical);				
Teacher (domestic/science);				
Officer on duty (actuary);				
Assistant Director (Metallurgist);				
Scientific Assistant (chemist);				
Research Officer (economist);				
Instructor (carpenter);				
Supervisor(tailor);				
Fitter(internal Combustion engine);				
Inspector Sanitary); Superintendent Office; apprentice Electrician).				

Total

Dated.....

Signature of employer

To

The Employment Exchange

(please fill in here the address of your local Special Employment Exchange)

Note: Total of column 5 under item 2 should correspond to the figure given against item-1.

FORM-III

(Persons with Disabilities Employer's Return)

[See rule 14]

Name and Address of the Employer.....

Whether - Head Office.....

Branch Office.....

Nature of business/principal activity:

Total number of persons on the pay rolls of the Government establishment (This figure should include every person whose wage or salary is paid by the Government establishment).

Total number of persons with disabilities (disability-wise) on the payroll of the Government establishment (This figure should include every person with disability whose wage or salary is paid by the Government establishment).

(a) Occupational qualification of all employees (Please give below the number of employees in each occupation separately).

Occupation Use exact terms Such as Engineer (Mechanical); Teacher (domestic/science); Officer on duty (actuary); Assistant Director (Metallurgist); Scientific Assistant (chemist); Research Officer (economist); Instructor (carpenter);	Number of Employees		Total	Please give as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next calendar year due to retirement.
	Men with disabilities	Women with disabilities		

 Total

(b) Please indicate the main reasons for any increase or decrease in employment if the increase or decrease is more than 5% during the half year.....

2. Vacancies: Vacancies carrying total emoluments as per prevailing minimum wage per month and of over six months duration.

(a) Number of vacancies occurred and notified during the half year and the number filled during the half year.

 Number of vacancies which come within the purview of the Act

Occurred	Notified		Filled	Sources (Describe the source form which filled)
	Local	Special		
	Employment	Exchange	General employment	
1	2	3	4	5

 Total

(b) Reasons for not notifying all vacancies occurred during the half year under report vide (a) 2.....above.

3. Manpower shortages

Vacancies/posts unfilled because of shortage of suitable applicants			
Name of the occupation or Designation of the posts	Number of unfilled vacancies/posts		Experience Not necessary
	Essential qualification	Essential experience	
1.	2.	3.	4.

Please list any other occupations for which this Government establishment had recently any difficulty in obtaining suitable applicants.

Signature of employer

Dated....

FORM- IV

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

[See rule 17(1)]

(1) Name : _____
(Surname) (First Name) (Middle Name)

(2) Father's Name : _____ Mother's Name: _____

(3) Date of Birth : _____ / _____ / _____
(Date) (Month) (Year)

(4) Age at the time of application : _____ years

(5) Sex: Male/Female/Transgender _____

(6) Address:

(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)

(c) Period since when residing at current address _____

(7) Educational Status (please tick as applicable)

- (i) Post Graduate
- (ii) Graduate
- (iii) Diploma
- (iv) Higher Secondary
- (v) High School
- (vi) Middle
- (vii) Primary
- (viii) Non-literate

(8) Occupation _____

(9) Identification marks (i) _____ (ii) _____

(10) Nature of disability :

(11) Period since when disabled: From Birth//since year _____

(12) (i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past ____ yes/no

(ii) If yes, details:

(a) Authority to whom and district in which applied _____

(b) Result of application _____

(13) Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

Date :

Place:

Enclosures:

1. Proof of residence (Please tick as applicable).

(a) ration card,

(b) voter identity card,

(c) driving license,

(d) bank passbook,

(e) PAN card,

(f) passport,

(g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,

(h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,

(i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.

2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:

Place:

Signature of issuing authority
Stamp

Form-V

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.
--

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form - VI

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of _____ Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

Sl. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -

In figures : - ----- percent

In words :- ----- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form – VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

[See rule 18(1)]

Recent passport
size attested
photograph
(Showing face
only) of the
person with
disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum _____ son/wife/daughter of Shri
_____. Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years,
male/female _____ Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State
_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of
_____ disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been
evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the
relevant disability in the table below:-

Sl. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned
{ Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a medical authority who is
not a Government servant (with seal)}

Signature/thumb
impression of the
person in whose
favour certificate of
disability is issued

Note.- In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District

FORM - VIII

[Intimation of rejection of Application for Certificate of Disability]

[See rule 18 (4)]

No. _____

Dated :

To,

(Name and address of applicant
for Certificate of Disability)

Sub: Rejection of Application for Certificate of Disability

Sir/ Madam,

Please refer to your application dated _____ for issue of a Certificate of Disability for the following disability:

2. Pursuant to the above application, you have been examined by the undersigned/ Medical Authority on _____, and I regret to inform that, for the reasons mentioned below, it is not possible to issue a Certificate of Disability in your favour:

(i)

(ii)

(iii)

3. In case you are aggrieved by the rejection of your application, you may represent to _____ , requesting for review of this decision.

Yours faithfully,

(Authorised Signatory of the notified Medical Authority)

(Name and Seal)

[F. No. 03-01/2017-DD-III]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.